न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00411

आम जनता मण्डाभीम सिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर जरिये आयुक्त

1. शंकर सिंह राजपूत पुत्र स्व0 हेमसिंह राजपूत
2. श्याम सिंह राजपूत पुत्र स्व0 श्री विजय सिंह राजपूत
3. मोहनलाल कुमावत पुत्र स्व0 श्री रतन लाल
4. राधाकृष्ण कुमावत पुत्र हनुमान लाल कुमावत
5. छोटूराम कुमावत पुत्र घीसाराम कुमावत
6. हनुमान कुमावत पुत्र घीसालाल कुमावत
7. सोहन लाल प्रजापत पुत्र छोटूराम प्रजापत

समस्त निवासीयान मण्डाभीम सिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

—अपीलान्टस

बनाम

1. सुन्दरी देवी पत्नि राधेश्याम कौम स्वामी
2. राजेश पुत्र राधेश्याम, कौम स्वामी
3. रमेश पुत्र राधेश्याम, कौम स्वामी
4. महेश पुत्र राधेश्याम, कौम स्वामी
5. गीता देवी पुत्री कानदास, कौम स्वामी

समस्त निवासीयान मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर

6. नारायण लाल कुमावत पुत्र बाछूराम
7. शंकरलाल अग्रवाल पुत्र स्व. सीताराम अग्रवाल
8. सुनील शर्मा पुत्र गिरधर गोपाल शर्मा
9. मालचन्द अग्रवाल पुत्र स्व. रामे वर लाल
10. मोहन भंगार पुत्र हनुमान भंगार (यादव)
11. समंदर सिंह राजपूत पुत्र भंवरसिंह राजपूत
12. घीसाराम गुर्जर पुत्र कालूराम गुर्जर
13. छीतरमल शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा
14. गुलाबचन्द सोनी पुत्र स्व0 बालूराम सोनी
15. नेमीचन्द मीणा पुत्र गोपी मीणा
16. रामचन्द्र रैगर पुत्र धानाराम रैगर
17. फूलचन्द सैन पुत्र मोहन लाल सैन
18. भंवर सिंह जाट पुत्र कानाराम जाट
19. जिवणराम पुत्र पेमाराम रैगर
20. बृजनन्दन कुमावत पुत्र फूलचन्द कुमावत
21. गोविन्द मुसायब पुत्र हनुमान कुमावत
22. मोहन लाल अजमेरा पुत्र मूलचन्द अजमेरा
23. गणपत (अग्रवाल) गर्ग पुत्र भैरूलाल गर्ग
24. कजोडमल पुत्र लक्ष्मीनारायण कुमावत
25. लक्ष्मीनारयण दम्बीवाल पुत्र दयालराम
26. राधेश्याम कुमावत पुत्र स्व0 रामेश्वर लाल
27. भगवान सहाय कुमावत पुत्र नन्दराम कुमावत
28. राधावल्लभ अजमेरा पुत्र रामेश्वर लाल अजमेरा
29. मदन सिंह मीणा पुत्र गोभाराम मीणा
30. प्रभुदयाल कुमावत पुत्र कजोडमल कुमावत

समस्त निवासीयान मण्डाभीमसिंह, पंचायत समिति जोबनेर, मु. सांभर, जिला जयपुर।

31. सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह पंचायत समिति जोबनेर मु० सांभर जिला जयपुर।
32. उप वन संरक्षक, जयपुर जिला जयपुर।
33. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त जयपुर

34. सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, किशनगढ रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व 1956 सपठित धारा 9 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर दिनांक 20.03.2018 प्रार्थना पत्र संख्या 209/2016 उनवानी आम जनता मण्डाभीमसिंह व अन्य बनाम सुन्दरी देवी व अन्य

उपस्थित—

1. श्री बी.एल. वर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री संजय शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 32 व 33 की ओर से

निर्णय

दिनांक —05.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 20.03.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र आम जनता ग्राम मण्डा भीमसिंह के द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ग्राम मण्डाभीमसिंह के खसरा नम्बर 261 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा एवं 266 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि की चली आ रही खातेदारी को उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 03.05.1962 एवं तहसीलदार के आदेश क्रमांक 493/आर.ए. दिनांक 06.06.1962 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 16.09.1962 द्वारा सिवायचक अंकित की गई। इस विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आदेश क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26.08.1982 का आदेश पत्र सम्बोधित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 26.08.1982 से व्यथित होकर आम जनता मण्डाभीमसिंह ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के यहां अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 20.03.2018 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण खारिज करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 20.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट आम जनता मण्डाभीमसिंह वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन कमेटी की दिनांक 28.05.1976 की सलाह के अनुसार अपने आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 का आदेश पत्र से गत खातेदारान को पुनः आंवटन को निरस्त करने एवं प्रार्थना पत्र संख्या 209/2016 उनवानी आम जनता मण्डाभीम सिंह वगै0 बनाम सुन्दरी देवी वगै. न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 20.03.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आम जनता मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर के 32 आदमियों द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांक विविध (82)/779 दिनांक 26/08/1982 के विरूद्ध एक शिकायत प्रस्तुत की थी। जिसमें आराजी खसरा नम्बर 261 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा एवं 266 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि की खातेदारी जिसे समर्पण मानते हुए तहसीलदार फुलेरा के आदेश 06/06/1962 एवं श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब सांभर के आदेश दिनांक 03/05/1962 के अन्तर्गत भूमि सिचाय चक अंकित की गई थी। यह कि उसी भूमि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने अपने आदेश क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26/08/1982 के अन्तर्गत आवंटन कमेटी दिनांक 28/05/76 के निर्णय के अन्तर्गत वापस स्व. कानदास वल्द गोविन्ददास की मुकान हरिशंकर वल्द कानदान 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि वापस आवंटन सलाहकार समिति के आदेश का संदर्भ अंकित करते हुए आवंटन कर दी । शिकायत बिन्दुओं पर अपील संख्या 209/2016 दर्ज करके समुचित सुनवाई के उपरान्त अतिरिक्त जिला कलक्टर – चतुर्थ, जयपुर ने उपरोक्त शिकायत दिनांक 20/03/2018 को निरस्त कर दी गयी।

बिन्दु संख्या (i) :– इस प्रकरण में नामान्तरकरण की कार्यवाही भू–अभिलेख अधिकारी/भूमिधारी तहसीलदार द्वारा स्वीकार की जानी चाहिये थी न कि भू–अभिलेख अधिकारी/ग्राम पंचायत द्वारा । अतः इस प्रकरण में धारा 55 की कार्यवाही की पालना हुई है या नहीं, यह स्थापित नहीं किया जा सकता है । अतः धारा 55 के तहत यह कार्यवाही सम्पूर्ण नहीं मानी जा सकती है ।

चुनौती के आधार :– अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर का यह निष्कर्ष निराधार है। आराजी खसरा नम्बर 260 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम मण्डाभीमसिंह, नामान्तरकरण संख्या 54 के अन्तर्गत दिनांक 16/09/1962 को पंचायत की मीटिंग में पेश होने के कारण धारा 55 के तहत खातेदार ने उक्त जमीन का छुटकारा पेश कर दिया है । उक्त नामान्तकरण के कॉलम नं. 14 में मुताबिक हुक्म श्रीमान तहसीलदार साहब मु. सांभरलेक दिनांक 06.06.1962 एवं क्रमांक 493/ आरए श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब सांभर दिनांक 03/05/1962 के अन्तर्गत नमाान्तरकरण पेश हुआ। भूमि सिवाय चक अंकित हो गई यानि भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी। RRD 1966 Har Narain Vs. Board of Revenue for Raj., D.B. Civil Writ Petition No- 357/63, decided on 30/11/1965 (a) में निम्न तजबीज दी हुई है:– Raj. Tenancy Act, Sec- 55 (before amendment) – Two modes of surrender of holdings provided & By giving up possession of holding-Surrender may also be in writing and attested by Sarpanch or Village Headman or Chairman of Municipal Board& Board of Revenue held] was ot in error in accepting evidence of surrender even though it was not in writing and attested., page 31 to 34 (Para 4). blh rjg RRD 1968 Yasin Shah Vs. Munir Shah] Appeal NO- 7/Jhalawar/1963, decided on 3 July 1967 esa Hkh fuEu rtcht nh xÃ gS :-(b) Raj- Tenancy Act, Sec- 55- Surrender-Scope and application of Legislative intent&Originally two modes of either by giving up possession or by execution of surrender deed in writing duly attested by Sarpanch etc- provided Provision mandatory and not only prescribed mode of attestion&After amendment only mode by delivery of possession accompanied by document in writing, duly attested by Tehsildar etc. imperative for valid surrender, page 37 to 41,(Paras 8 to 11). mijksä rtcht dks lgh crkrs gq, RRD 1983 ist 539 yxk;r 548 Khuma Vs. Mandir Parasnathji -(172), Appeal No- 112 / Pali of 75, decided on 10th May,1983 में ये अभिनिर्धारित किया है – (f) Raj- Tenancy Act- Sec- 55 & Surrender-Attestation-Delivery of possession by deft. held enough to constitute surrender& Evidence about surrender, accepted by Board even though so called surrender] not evidenced by writing, duly attested in manner laid down in Sec- 55 as held in 1966 RRD 31 (H.C.)(Para 21),oa blh rtcht dks RRD 1979 ist 401 ls 405 ls retrate किया गया है जो निम्न प्रकार है

Phool Singh V/s Moti Lal, Appeal Nos- 344 - 345 / Alwar of 75, decided on 2nd April, 1979 esa ;g rtcht nh gS (c) Raj- Tenancy Act, Sec- 55 Surrender - Tobe made in favour of land holder and not of any person Surrender deed necessarily to be attested by Teh- Surrender rightly held to be invalid in abence of both pre- requisites.(Para 6)-

उपरोक्त नजीरों एवं नामान्तरकरण जो सिवाय चक भरा गया एवं आदेश अंकित किये गये एवं सरपंच ग्राम पंचायत से तस्दीक किया गया, (1) कब्जा छोड़ना एवं लिखित में

सरेण्डर करना बखूबी प्रमाणित है। अतिरिक्त जिलाधीश चतुर्थ ने जो व्यवस्था दी है वो कानून सम्मत न होकर मनमानी एवं तथ्यों एवं दस्तावेजी रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

बिन्दु संख्या (ii) : जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा पीड़ित खातेदारों की समस्या को सुनकर दिनांक 15/06/1966 को आदेश जारी किया गया था कि "कागजात पेश हुए । जोरा –भागीरथा–भूरा –काना– वजीरा – नानू व कालू भूरा मय वकील श्री जगमोहन प्रसाद हाजिर हैं। उपरोक्त उपस्थित कास्तकारान ने अपने उजरात लिखित में पेश किये गए । उजरात को सुना गया। इन कास्तकारान का कहना है कि हम उस जमीन को चारागाह के लिए देने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह ही उनके कमाने खाने का साधन है। यदि उन्हें इस जमीन के एवज में दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने को तैयार हैं । अतः असल कागजात वापस भेजकर तहसील को लिखा जावे कि यदि गांव वालों को इस जमीन की आवश्यकता वास्ते चारागाह है तो इन कागजात को अलाटमेन्ट कमेठी में रखकर व इनको इसके बदले में दूसरी जमीन का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली मार्फत एस.डी.ओ. जी यहां वास्ते आगामी उचित आदेश भेजी जावे । आज्ञा सुनाई गई। ता. 15/06/1966 ।' नये निर्देशों की पालना के साथ प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में भूमि का समर्पण पूर्ण हुआ ही नहीं है ।

चुनौती के आधार :– इस मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने आम नागरिकों की शिकायत के क्रम में जो लिखित बहस प्रस्तुत की गई थी उसमें क्रम संख्या 9 पर निम्न नजीर अंकित की गई थी

Revision No. 48/Tonk of 89, decided on 7th March 1991	Gheesa & Ors. V. Balu & anr. Member Board of Revenue, Ajmer RRD 1991, page 234-237	(c) Rajasthan land Revenue Act, Section 75- An order passed u/s 55 of the Raj. Tenancy Act cannot be appealed against u/s 75 of the LJt Act. (Para 10)

लिहाजा तथाकथित जिला कलक्टर का आदेश राज्य सरकार को हानि पहुंचाने एवं राज्य सरकार के पक्ष को नहीं सुनने एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने के कारण क्षेत्राधिकार विहिन होने से उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता ।

बिन्दु संख्या (iii) :– न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 02/11/1966 को पुनः तहसीलदार फुलेरा को सूचित किया गया कि "उपरोक्त विषय में लेख है कि चारागाह घोषित किये जाने की दरख्वास्त नामंजूर की जाती है।" जिस पर खातेदार अधिकार निरन्तर माना जाना ही अधिक तार्किक है जिसकी कोई अपील नहीं की गई ।

चुनौती का आधार :– तथाकथित जिला कलक्टर, का आदेश राज्य सरकार को हानि पहुंचाने एवं राज्य सरकार के पक्ष को नहीं सुनने एवं प्रशासनिक कार्यवाही करने के कारण क्षेत्राधिकार विहिन होने से उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

बिन्दु संख्या (iv): क्या यह भूमि राजकीय भूमि को आवंटन किये जाने का प्रकरण है उसमें कार्यवाही विवरण दिनांक 28/05/1976 को उद्धरत किया गया एवं यह निष्कर्ष निकाला कि जिला कलक्टर जयपुर के आदेश एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय के क्रम में पुरानी खातेदारी को बहाल करते हुए सीधे खातेदारी प्रदान की गई है जिस पर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) लागू नहीं होते हैं।

चुनौती का आधार :– इस मामले में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दी गई तजबीज सही नहीं है। यह भूमि न केवल आदेश पगरना अधिकारी सांभरलेक क्रमांक विविध (82) 779 दिनांक 26/08/1982 अन्तर्गत आवंटन कमेटी दिनांक 28/05/1976 के अनुशंषा पर दिया गया आदेश नहीं बताया गया बल्कि पश्चात्वर्ती उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने भी ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह की आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13/06/1984 में भी उपरोक्त भूमि में दिनांक 26/08/1982 को दिये गये आदेश को आवंटन आदेश ही बताया गया है। अतः निष्कर्ष अतिरिक्त जिला कलक्टर आवंटन सलाहकार समिति के मुखिया के आदेश दिनांक 26/08/1982 एवं दिनांक 13/06/1984 के विपरीत अवधारणा बनाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बिन्दु संख्या (v) : यह कि परगना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। अतः यह आदेश विधि की कार्यवाही की पूर्णता के लिए अपनी अन्तिमता को प्राप्त आदेश (व्तकमत ंजजंपदे थ्पदंसपजल) है।

चुनौती का आधार :– यह अपील करने का दायित्व आम जनता का नहीं है। जब जिला कलक्टर स्वयं ही क्षेत्राधिकार विहिन आदेश दे रहे थे तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी अगर नियम पूर्वक कार्यवाही नहीं करते है तो उसकी जिम्मेदारी आम नागरिकों की नहीं है इसके लिए राजस्व प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है।

बिन्दु संख्या (vi) :– यह कि विवादित भूमि पर वन विभाग के द्वारा किये गये वन विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमि पंचायत की या चारागाह की घोषित नहीं की जा सकती ।

चुनाती का आधार :– यह प्रकरण चारागाह घोषित कराने का नहीं है बल्कि नियमों के विपरीत 20 साल बाद राजकीय भूमि को राजकीय हितों को दरकिनार करके बिना कब्जे काश्त के भूमि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही करके भूमि दिये जाने का है जिस पर निष्पक्ष एवं कानून सम्मत कार्यवाही न करके अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने दायित्वों का निवर्हन नहीं किया है लिहाजा उन द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या (vii) :— गिरदावरी से कब्जे की कोई सूचना नहीं होती तथा ना ही गिरदारी के आधार पर वैध कब्जे को निर्धारित ही किया जा सकता है। गिरदावरी केवल काश्त की सूचना देती है लेकिन इसके आधार पर वैध कब्जाधारण का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में 14 (4) के स्थान पर काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिये ।

चुनौती का आधार :– यह कि यह निष्कर्ष की गिरदावरी कब्जे का आधार नहीं हो सकती। ये निष्कर्ष राजस्व विधान के विपरीत है। काश्तकार के लिए कब्जे का सबूत गिरदावरी एवं लगान की रसीद ही होती है जिसको महत्व नहीं दिया जाना अतिरिक्त जिला कलक्टर की नादानी के अलावा कुछ नहीं है। यह नसीहत की 14 (4) के बजाय धारा 63 में की जानी चाहिये थी आम जनता ने उपखण्ड सांभरलेक द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/08/1982 एवं पश्चात्वर्ती उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 13/06/1984 को सद्भावी आदेश मानते हुए कार्यवाही की है अतः मौखिक जो उपदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर ने दिये है इन दोनों लिखित आदेश व प्रोसेडिंग के विपरीत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रकरण 14 (4) का है अगर 63 का है वो कार्यबाही भी नामान्तरकरण संख्या 58 के अन्तर्गत दिनांक 16/09/1962 को ही हो चुकी थी तो अतिरिक्त जिला कलक्टर आम नागरिकों से क्या चाहते हैं इसकी जानकारी उपरोक्त निर्णय से नहीं हो रही है। अच्छा तो यह होता कि इस प्रकरण में तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 20/01/1983 का रेफरेन्स आरटीए की धारा 82 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ द्वारा प्रस्तुत करना चाहिये था। जो उन्होंने न करके वांछित कार्यवाही की जिम्मेदारी अन्य लोगों पर डालकर जो निर्णय पारित किया है उस अकेले निर्णय से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इस कारण आदेश दूषित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

बिन्दु संख्या (viii) :– जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को खसरा नम्बर 264 में 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की गई एवं उपरोक्त ग्रिड स्टेशन खसरा नम्बर 266 में निर्मित कर लिया जिसके लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता. 5 से आपसी विवाद है ।

चुनौती का आधार :– यह कि प्रकरण जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से सम्बन्धित न होकर राजकीय हानि से सम्बन्ध रखता है जिसके बारे में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने अर्द्धन्यायिक कार्यवाही में ध्यान नहीं रखकर राजकीय हानि कारित की है जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बिन्दु संख्या (ix) : – यह कि प्रार्थना पत्र 34 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जिसमे निगरानी देरीना होने से यह प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नही बताया है ।

चुनौती का आधार :– यह कि गलत कार्यवाही को चुनौती दिये जाने की कोई सीमा नहीं होती है एवं यह प्रकरण राजकीय हानि एवं जनहित से जुड़ा हुआ है जिसके लिए कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है जिसे अपास्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि शिकायत पूर्व में 31 व्यक्तियों द्वारा की गयी थी लेकिन उनके मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण एवं अपील अवधि समाप्त होने जा रही है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह अपील न्यायहित में मात्र 7 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है । अत: वादग्रस्त भूमि जिस पर कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है आज भी मौके पर पडत पडी है एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम का ग्रिड बना हुआ है एवं खसरा गिरदावरी की प्रविि टयां जो अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी उनका बिना गौर किये ही निर्णय पारित किया गया है। अतः यह अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक 26.08.1982 प्रार्थना पत्र संख्या 209/2016 उनवानी आम जनता मण्डाभीम सिंह वगै0 बनाम सुन्दरी देवी वगै. न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 20.03.2018 निरस्त किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 03.05.1962 एवं नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 16.09.1962 को बहाल रखते हुए पश्चातवर्ती आदेश उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 26.08.1982 एवं उसके अन्तर्गत दर्ज व तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 20.01.1983 निरस्त किया जावे। समर्पण सही मानते हुये आंवटन नियम 14 (4) में आवंटन निरस्त किया जावे।

6. वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने दौराने बहस कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के लिए निर्धारित कार्यवाही पूर्ण नहीं है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पैतृक अधिकार की रही है। उनके द्वारा इस पर खेती की जाती रही है। भूमि का स्वैच्छिक एवं लिखित समर्पण नहीं किया गया है। तहसीलदार द्वारा भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। इस मामले में आसामी के द्वारा अपने कब्जा छोडने के लेखपत्र का हवाला नहीं दिया गया है। जिससे यह स्प ट है कि आसामी द्वारा ऐसा कोई लेखपत्र लिखा गया था या नहीं एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी का आदेश किस सन्दर्भ में दिया गया है। यह भी कि धारा 56 के अनुसार कोई आसामी समर्पणकर्ता समर्पण करने से पहले भूमिधारी को धारा 55 के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने से पहले, इस प्रकार समर्पण करने वाला आसामी अपने इस आशय का कि वह समर्पण करेगा, एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को एक माह से कम से कम 30 दिन पहले देगा। इस प्रकरण में समर्पण करने से पहले इस तरह का कोई नोटिस जारी किया गया है अथवा नहीं बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि धारा 55 के तहत के उद्देश्य के लिए धारा 56 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रियात्मक विधिक कार्यवाही की पूर्ति की गई है या नहीं। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये अनुसार इस भूमि के समर्पण का कब्जा लिया जाना अनिवार्य रहा है। इस प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें तथाकथित समर्पित भूमि का तहसीलदार द्वारा कब्जा लिया गया है अथवा नहीं। अभिभा ाक अप्रार्थीगण के द्वारा इस प्रकरण में न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के दो पत्र दिनांक 15.06.1966 तथा 02.11.1966 की प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार अप्रार्थीगण के द्वारा जिलाधीश जयपुर के समक्ष एक मु.नं. ता रजु दिनांक 15.06.1966 प्रस्तुत किया जिसमे जिला कलक्टर के समक्ष ग्रामवासी उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि वे अपनी भूमि को चारागाह के लिए देने के लिए देने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्हें यदि दूसरी जमीन दे दी जावे तो वे इस जमीन को देने के लिए तैयार है। कलक्टर जयपुर के द्वारा इस स्थिति में असल कागजात वापस तहसील को लिखा गया कि यदि गांव वालो को इस जमीन की आवश्यकता है तो इन ग्रामवासियों को दूसरी भूमि का अलाट करने का प्रस्ताव पास करके फिर पत्रावली

संभागीय आयुक्त
जयपुर

मारफत एस.डी.ओ. के माध्यम से उचित आदेश भेजने का आदेश दिया गया। साथ ही एक अन्य आदेश दिनांक 02.11.1966 के द्वारा तहसीलदार को पत्र प्रे ित कर सूचित किया गया कि ग्राम मण्डाभीमसिंह पुरा में गोचर भूमि छुडाने के मामले में चारागाह घो ित करने की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया गया है। इस प्रकार इस प्रकरण मे ना तो जिला कलक्टर जयपुर के द्वारा चारागाह के लिए भूमि का समर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा ना ही उक्त भूमि को चारागाह ही घो ित किया गया था। इसके विपरीत ग्रामवासियों के अनुरोध पर उन्हें अन्यत्र भूमि आंवटन किये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से नया प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये थे। जिला कलक्टर के इन निर्देशों की पालना की गई थी या नहीं। इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही चारागाह के लिए तथाकथित रूप से सिवायचक भूमि को चारागाह घो ित किये जाने की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। इससे यह स्प ठ हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी चारागाह नहीं रही है। इस प्रकरण में वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बर 261 एवं 266 किता 2 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा गीता देवी पुत्र कानदास हि. 3/4 राजेश रमेश पुत्र राधेश्याम हि 5/32 एवं महेश पुत्र राधेश्याम हि. 3/32 कौम स्वामी सा. दे हके नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी पक्षकारगण के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रति–दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया है जो उचित व विधिसम्मत है। अतः यह अपील अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र संख्या 209/2016 निर्णय दिनांक 20.03.2018 उनवानी आम जनता मण्डाभीम सिंह वगै0 बनाम सुन्दरी देवी वगै. न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर का निर्णय दिनांक 20.03.2018 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ग्राम मण्डाभीमसिंह के खसरा नम्बर 261 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा एवं 266 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि की चली आ रही थी। खातेदारी को उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 03.05.1962 एवं तहसीलदार के आदेश क्रमांक 493/आर.ए. दिनांक 06.06.1962 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 54 दिनांक 16.09.1962 द्वारा सिवायचक अंकित की गई। इस विवादित आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के द्वारा आवंटन कमेटी की दिनांक 28.05.1976 की सलाह के अनुसार अपने आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 का आदेश पत्र से गत खातेदारान को पुन उपलब्ध कराना उपयुक्त मानते हुए अंत तक का बकाया लगान वसूल करने पर उन्हें वापस दिया जाना स्वीकार किया गया। जिससे जाहिर है कि एक बार भूमि के समर्पण किये जाने, भूमि का नामान्तरकरण सिवायचक अंकित हो जाने के 20 वर्श बाद, 28.07.1976 को आंवटन सलाहकार समिति का सन्दर्भ अंकित करते हुए जिसकी कि प्रोसिडिंग दिनांक 28.05.1976 को अंकित नहीं है राजकीय उच्च प्राथमिक शाला मण्डा भीमसिंह को आराजी खसरा नम्बर 470 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 471 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 472 रकबा डेड बीघा परिवर्तन के अन्तर्गत आंवटित की गई थी एवं स्व. कानदास वल्द गोविन्द दास की मुकान हरिशंकर वल्द कानदास के बाबत कोई निर्णय नहीं हुआ था, के लिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी दिनांक 26.08.1982 का ओदेश Ab-initio void and illegal है। स्व. कानदास वल्द गोविन्द दास की मुकान हरिशंकर वल्द कानदास के समर्पण किये जाने के बाद सिवायचक रहेगी। दिनांक 08.06.1962 के बाद उक्त भूमि पर खातेदारान द्वारा कोई काश्त नहीं की गई है। यह भूमि स्वेच्छा से सरेण्डर की जाकर चारागाह उपयोग के लिए छोडी गई थी। भूमि पर खेती नहीं होने तथा सार्वजनिक उपयोग हेतु पशुधन की चराई के उपयोग में यह भूमि चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में बंजड अंकित है। राज. का तकारी अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत सरेण्डर की गई भूमि सिवायचक अंकित हो जाने के बाद पूर्व खातेदार को भूमि का पुनः आंवटन नहीं किया जा सकता है। 1970 के नियमों के नियम 11 के तहत अलाटमेन्ट हेतु पात्र व्यक्तियों को ही आंवटन किया जा सकता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी ने कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के उपनियम 13 के अन्तर्गत आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के बिना की गई उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर आंवटन पात्र व्यक्तियों को की जानी चाहिए थी। सलाहकार समिति की राय के बिना की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकारीविहिन होने से निरस्त योग्य है। बिना कब्जे काश्त की विवादित भूमि के लिए वापिस किये जाने की कार्यवाही के लिए उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 26.08.1982 without एवं jurisdiction illegal होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2018 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित आदेश उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का आदेश क्रमांक विविध(82) 779 दिनांक 26.08.1982 से गत खातेदारान को पुनः आंवटन एवं प्रार्थना पत्र संख्या 209/2016 उनवानी आम जनता मण्डाभीम सिंह वगै0 बनाम सुन्दरी देवी न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2018 निरस्त किया जाता है एवं उक्त आंवटन आदेश दिनांक 26.08.1982 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।